प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2023 प्र0इ0रि0 सं. ...278/2023.....दिनांक.....24/10/2023.....

2. (I) अधिनियमः- धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0दं0सं0

   (II) अधिनियम ..... धारायें .....

   (III) अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ...412.... समय .....7:45 PM....

   (ब) अपराध घटने का दिन- सोमवार, दिनांक 23.10.2023 समय 6.11 पीएम

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ..... समय ..... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :- पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर।

   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब पूर्व दिशा करीब 12 किमी

   (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

   पुलिस थाना .....जिला .....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-

   (अ) नाम- श्री राहुल शर्मा

   (ब) पिता/पति का नाम- श्री मोहन लाल शर्मा,

   (स) जन्म तिथी- उम्र- 30 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता - भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि

   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय - व्यवसाय

   (ल) पता- निवासी म0नं0 206, नर्सिग देव की बगीची, ब्रहमपुरी, जयपुर .

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर-ए, सीतावाली फाटक बेनाड़ रोड़, मुरलीपुरा जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 515, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर।

2- श्री बुद्दालाल पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 51 साल निवासी 39ए, अशोक वाटिका जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानि0 830, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...

.....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य- 30,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 17-10-2023 को परिवादी श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा, उम्र 30 वर्ष, निवासी म0नं0 206, नर्सिग देव की बगीची, ब्रहमपुरी, जयपुर ने ब्यूरो में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक A.C.B. जयपुर ग्रामीण विषय-कारवाई करने बाबत् महोदय, निवेदन है कि मै राहुल शर्मा निवासी ब्रहम्पुरी जयपुर का हूं। मेरे भाई पुनीत शर्मा के खिलाफ थाना भट्टा बस्ती पर मुकदमा नम्बर 312/2023 धारा 420, 376 I.P.C. मे दर्ज हुआ था जिसमे हमारा परिवादीया से राजीनामा हो चुका है जिसकी रिपोर्ट परिवादीया ने थाना पर रिपोर्ट पर कोई कारवाई नही करने बाबत दे दी थी। लेकिन फिर भी भट्टा बस्ती के हैड कानस्टेबल संजय शर्मा एवम बुद्धाराम व थाना ईचार्ज राजेन्द्र खण्डेलवाल उक्त मुकदमे को बन्द करने के लिए पचास हजार रूपये रिश्वत मांग रहे है। जो मै नही देना चाहता हूँ एवम रिश्वत मांगने वालो को रगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई रंजिश आदि नही है। अत: नियमानुसार कारवाई करने का श्रम करें। प्रार्थी एसडी/- राहुल शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा म0नं0 206 नर्सिग देव कि बगीची ब्रहम्पुरी जयपुर मो0 8209264250 17/10/23''। परिवादी श्री राहुल शर्मा ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मै फ्लावर डेकोरेशन का काम करता हूँ। मेरा भाई पुनीत शर्मा जो मेरे से बड़े है जो सिविल डिफेंस मे काम करते है। राधिका खण्डेलवाल नाम की लड़की ने मेरे भाई के विरूद्ध थाना भट्टा बस्ती मे प्रकरण दर्ज करवाया था जिसमे मेरे भाई व उसका राजीनामा हो गया उक्त प्रकरण मे लड़की के बयान 164 मे हो गये है राजीनामे का शपथ पत्र जब मै थाने मे लेकर गया था तब 17 हजार रूपये रिश्वत के श्री संजय शर्मा जो पुलिस थाना भट्टा बस्ती मे पदस्थापित है को दिये थे अब मुझे संजय ने फोन किया कि इंचार्ज साहब थाने मे बुला रहे है तब मै थाने पर गया और संजय ने मुझे इंचार्ज साहब से मिलवाया था। मै थाने पर मेरे परिचित लेखराज मीना के साथ गया था। अगले दिन मै लेखराज मीना जो कि मेरा परिचित है उसको थाने पर पदस्थापित बुद्धाराम हैड कानि0 ने फोन करके कहा कि उसको मेरे पास लेकर आ मै उसका काम करवा दूंगा। फिर मै थाने पर गया तब संजय शर्मा मिल गया जिसने मुझे कहा कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी व आधार कार्ड ले आ। जब मै बाहर गयाा तो बुद्धाराम मुझे मिल गया उसने मुझे कहा 60,000/- रूपये ले आ मै तेरा काम करवा दूँगा तब मैने कहा कि मै कल बताउंगा। फिर मै एसीबी कार्यालय में आ गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर दिनांक 20-10-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण श्री संजय कुमार हैड कानि0 515 व श्री बुद्धाराम हैड कानि0 830 पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जिला जयपुर आयुक्तालय (उत्तर) द्वारा परिवादी के भाई के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने की ऐवज में 30,000/- रूपये रूपये रिश्वत की मांग करना पाया गया। रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व डीवीडी तैयार की गई।

दिनांक 23-10-2023 को परिवादी श्री राहुल शर्मा के उपस्थित कार्यालय आने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री राहुल शर्मा ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये पेश किए। उक्त नोटो पर श्री रामकल्याण मीना हैड कानि0 25 से कार्यालय की अलमारी में रखी हुई फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर गवाहान की मौजूदगी में फिनोलफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डलवाकर उक्त नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर भलीभांति लगवाया जाकर रिश्वती राशि परिवादी की पहनी हुई जिन्स पेट की दाहिनी जेब मे रखवाए गए। जिसकी फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की गई।

समय करीब 4,30 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ एवं स्वतंत्र गवाह श्री अनूप कुमार गुर्जर व श्री रामदयाल मय परिवादी श्री राहुल शर्मा मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहनो सहित ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना भट्टा बस्ती पर पहूंच कर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 6.11 पीएम पर परिवादी परिवादी श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा निवासी म0नं0 206, नर्सिग देव की बगीची, ब्रहमपुरी, जयपुर ने अपने मो0नं0 8209264250 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर 7014657582 पर काल कर बताया की श्री संजय कुमार जी ने मुझसे रिश्वत के 30,000/- रूपये अपने हाथ मे लेकर अपने बदन पर पहनी हुई पेंट मे रख कर थाने के पीछे थानाधिकारी के पास जाकर आता हूं यह कहकर पीछे की तरफ गया है। इस पर आस पास खडे स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए कही वह पीछे से फरार नही हो जाए थाना भट्टा बस्ती थाना परिसर पर पहूंचा जहां पर परिवादी खड़ा हुआ मिला

जिससे पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री राहुल शर्मा ने बताया कि जब मै पुलिस थाना भट्टा बस्ती मे अन्दर गया तो मुझे सामने बैठे हुए संजय जी मिल गये जिस पर श्री संजय जी ने मुझे कहा कि आ गये तब मैने कहां हां तत्पश्चात् श्री संजय कुमार पुलिस थाना भट्टा बस्सी मे बना हुआ कमरा जिसके बाहर रीडर लिखा हुआ था उसमे ले गये। कमरे मे जाने के बाद संजय कुमार ने मुझे कहा कि ले आया क्या फोटो, तेरे को समझा रहा हूं तू समझ नही रहा, राधा को कितने पैसे दिए दो लाख दिये जिस पर मैने कहा हां, फिर संजय कुमार ने मुझसे कहा किसके सामने दिए तो मैने कहा कि एक वकील था और जीतू था तो संजय कुमार ने कहा कि वह जीतू तेरी गवाही दे देगा क्या कि राधा ने तेरे से पैसे लिए है फिर मैने जीतू से अपने मोबाईल फोन का लाउड स्पीकर खोलकर श्री संजय कुमार से बात करवाई तो जीतू ने गांव होना बताया। तत्पश्चात् श्री संजय कुमार मेरे से पूछताछ करते हुए कम्प्यूटर पर टाईप करने लग गया। टाईप करते करते मेरे से बोला कि कित्ते पैसे लाया है तो मैने कहा कि पूरे तीस हजार रूपये लाया हूं फिर कहा कि ला मुझे दे पैसे, मै इंचार्ज साहब से बात करके आता हूं बोले थे जिस पर मैने मेरे पास रखे रिश्वत के 30,000/- रूपये श्री संजय कुमार को दे दिए जिन्होने बिना गिने ही अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रख लिए थे। और ये भी बोला कि ये बात मै जानू या तु जाने किसी को कुछ पता नही लगे तु बाहर बैठ जा, मेरी और संजय की बातचीत के दौरान बुद्वालाल जी भी आये थे जिन्होने संजय को कहा कि इसको बंद कर दो फिर आये इसका भाई जिस पर मैने कहा कि मेरे भाई को तो मै वैसे ही बुला देता हूं फिर बुद्वालाल जी वहां से चला गया था और मै और संजय आपस मे बातचीत कर रहे थे। श्री संजय कुमार के थाने के मैनगेट से बांयी तरफ पीछे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर जो कि थानाधिकारी का सरकारी आवास की तरफ चला गया था और मैने आपको कॉल कर दिया था। इस पर परिवादी को हमराह लेते हुए थाना परिसर के पीछे की तरफ गये तो एक सरकारी आवास के बाहर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति से बात करता हुआ दिखाई दिया जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री संजय जी है जिनको उनकी मांग के अनुसरण मे रिश्वत के 30,000/- रूपये मैने दिए थे। इस पर खड़े हुए व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान एवं स्वतंत्र गवाहान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर-ए, सीतावाली फाटक बेनाड़ रोड़, मुरलीपुरा जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 515, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर होना बताया। इस पर श्री संजय कुमार हैड कानि0 को परिवादी श्री राहुल शर्मा से लिए गए रिश्वती राशि 30,000/- रूपये के बारे मे स्वतंत्र गवाहान के सामने पूछा तो कहा मै तो मुकदमा नं0 298/2023 के बारे मे इंचार्ज साहब को क्वाटर पर बताने आया था जो आदेश मे है और डीसीपी ऑफिस मे ले नही रहे है आप बात कर लो फिर पुनः बताया कि मैने श्री राहुल शर्मा से कभी भी रिश्वत की मांग नही की। इसके भाई पुनीत शर्मा के खिलाफ राधा नाम की लड़की ने धारा 420, 376 भा0दं0सं0 का प्रकरण पुलिस थाना भट्टा बस्ती मे दर्ज करवाया था जिसका अनुसंधान श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल थानाधिकारी पुलिस थाना भट्टा बस्ती कर रहे थे मै थानाधिकारी के रीडर का कार्य करता हूं इस कारण यह एक बार थाने मे आकर मेरे से मिला था और आपसी परिचय के बाद श्री राहुल ने कहा था कि आप भी ब्राहमण हो मै भी ब्राहमण हूं आप मेरे भाई का भला करो इस पर मैने कहा कि यार तफतीश तो इंचार्ज साहब कर रहे है आप इंचार्ज साहब से मिल लो, तत्पश्चात् यह चला गया था, दिनांक 20-10-2023 को राहुल शर्मा मेरे पास आया था और मुझे कहा था कि आप तो मेरी मदद करो मै आपका खर्चा पानी कर दूंगा इस पर मैने कहा था कि आप खर्चा पानी की बात मत करो मुझे जैसा इंचार्ज साहब कहेगे मै वेसे ही मै फाईल को लिखूंगा। आज यह मेरे पास आया था मै इससे बातचीत कर रहा था तब इसने मेरे को अपनी जेब से रूपये निकालकर अनुनय विनय करते हुए दे दिए थे जिनको मैने बिना गिने ही अपनी पेंट की जेब मे रख लिए थे क्योंकि इंचार्ज साहब ने मुझसे कहा था कि संजय आप आरोपी के भाई से खर्चा पानी तो लो इंचार्जसाहब राजेन्द्र जी खण्डेलवाल के कहने पर राहुल से बात की थी। श्री राहुल शर्मा से लिए हुए 30,000/- को थाने के पीछे बने क्वार्टर मे देने के लिए गया था और मै सरकारी क्वाटर के बाहर बैठे थानाधिकारी श्री राजेन्द्र जी खण्डेलवाल से श्री राहुल शर्मा से लिए गए 30,000/- रूपये की बातचीत ही कर रहा था और थाने के अन्य प्रकरण संख्या 298/2023 के संबंध में

वार्ता कर रहा था इसी दौरान आपकी टीम ने मुझे पकड़ लिया था। मैने श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल थानाधिकारी थाना भट्टा बस्ती के कहने पर ही राहुल शर्मा से 30,000/- रूपये लिए थे। इस पर परिवादी श्री राहुल शर्मा ने श्री संजय कुमार हैड कानि0 की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री संजय कुमार हैड कानि0 झूंठ बोल रहे है जब मै दिनांक 20-10-2023 को इनसे मिलने आया था तब इन्होने मुझसे मेरे भाई के विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने की ऐवज में 30,000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे इनकी मांग के अनुसरण मे ही आज मैने इनको रिश्वत के 30,000/- रूपये दिए थे जो इन्होने अपने हाथ मे लेकर बिना गिने ही अपनी पेंट की दाहिनी जेब मे रख लिए थे।

इस पर थानाधिकारी आवास मे मौजूद मिले थानाधिकारी से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री राधेश्याम, जाति ब्राहमण उम्र 49 साल निवासी ए-283, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर हाल पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना भट्टा बस्ती, जिला जयपुर होना बताया। जिस पर श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल थानाधिकारी से श्री संजय कुमार हैड कानि0 द्वारा बतायी गयी बातो के आधार पर पूछा गया तो श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि श्री संजय कुमार हैड कानि0 मेरा रीडर है तथा मेरे द्वारा अनुसंधान की जा रही विभिन्न प्रकरणों की पत्रावलियों को मेरे कहे अनुसार लिखता है मेरे पास प्रकरण संख्या 312/23 धारा 420, 376 भा0दं0सं0 का प्रकरण अनुसंधानाधीन है जिसके आरोपी श्री पुनीत शर्मा को मै नही जानता। थानाधिकारी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल ने श्री संजय कुमार हैड कानि0 द्वारा बतायी गयी बातो का खण्डन करते हुए कहा कि मैने श्री संजय शर्मा को इस प्रकरण मे आरोपीगण से किसी भी प्रकार के खर्चा पानी लेने को नही कहा था। जब थाने मे मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के 164 द0प्र0सं0 के बयान होने के पश्चात् आरोपी श्री पुनीत शर्मा का भाई राहुल शर्मा आया था जिसने मुझे बताया था कि पीड़िता तथा मेरे भाई पुनीत शर्मा का राजीनामा हो गया है इस प्रकरण की पत्रावली 164 द0प्र0सं0 के बयान तथा जो शपथ पत्र श्री राहुल शर्मा द्वारा दिया गया उमे भिन्नता के कारण उच्चाधिकारियो से विचार विमर्श के कारण पैण्डिग थी। जब थानाधिकारी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल से पूछा गया कि जब एसीबी टीम ने संजय कुमार हैड कानि0 को पकड़ा तथा श्री संजय कुमार राहुल शर्मा परिवादी को यह कहकर आये है कि आप बैठो मै इंचार्ज साहब से मिल कर आता हूं इस बारे मे आपका क्या कहना है इस पर थानाधिकारी ने बताया कि संजय कुमार हैड कानि0 ने मुझे फोन करके बताया कि प्रकरण संख्या 298/2023 की पत्रावली जो आदेश मे गयी हुई है जिसको डीसीपी कार्यालय मे हैड कानि0 नंदकिशोर ले नही रहा है आप उसमे बात कर लो और मेरे को उसके मोबाईल नम्बर वाट्सअप पर भेज दिए थे फिर मै नंदकिशोर हैड कानि0 से मोबाईल फोन पर बात कर रहा था कि एडीशनल एसपी साहब से डिसकशन हो चुका है तो मै बता रहा था तो संजय कुमार हैड कानि0 ने बताया कि महेन्द्र कानि0 वहां पर गया हुआ है महेन्द्र के फोन पर बात करके बता दो तो मैने कहा कि नंदकिशोर से मेरी बात हो गयी है पत्रावली के लिए पुनः बात कर रहा था इतने मे आप व आपकी टीम ने संजय कुमार हैड कानि0 को पकड़ लिया। इस पर थानाधिकारी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टि के लिए थानाधिकारी के मोबाईल को चैक किया गया तो पाया गया कि जरिये वाट्सअप श्री संजय कुमार हैड कानि0 द्वारा समय 18.08 पीएम पर श्री नंदकिशोर हैड कानि0 के नम्बर भिजवाए गए है जिन पर थानाधिकारी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा समय 18.11 पीएम व 18.13 पीएम पर श्री नंदकिशोर हैड कानि0 से वार्ता करना पाया गया है। श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल थानाधिकारी के मोबाईल को चैक करने पर अन्य कोई आपत्तिजनक व प्रकरण संबंधी कोई रिकार्डिग या चैटिंग होना नही पाया गया है।

दर्ज रहे कि थानाधिकारी के आवास पर थानाधिकारी के अलावा एक व्यक्ति ओर थे जिसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह बुद्वालाल जी है इन्होने भी मेरे से रिश्वत की मांग की थी। जिस पर उस खड़े हुए व्यक्ति को मैने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री बुद्वालाल पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 51 साल निवासी 39ए, अशोक वाटिका जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानि0 830, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर होना बताया। जिस श्री बुद्वालाल हैड कानि0 से रिश्वत राशि के बारे मे पूछताछ की गई तो बुद्वालाल ने बताया कि श्री राहुल शर्मा

दिनांक 20-10-2023 को पुलिस थाने के बाहर खड़े थे जहां पर राहुल शर्मा थाने के अन्य कर्मियो से वार्ता कर रहे थे इस कारण मैने श्री राहुल शर्मा से वार्ता की थी मैने श्री राहुल शर्मा से किसी भी प्रकार की रिश्वत नही मांगी मेरे पास थाने का एचएम प्रशासन का कार्य है मेरे को थानाधिकारी की फाईलो से कोइ काम नही है और ना ही फाईलो की कोई जानकारी नही है राहुल ने मुझे आप फोन करके कहा था कि मै थाने पर आ जाउं क्या तो मैने कहा था कि आ जा तो इसने कहा घंटे डेढ़ घंटे मे आ रहा हूं इसके अलावा मेरा श्री राहुल शर्मा से कोई वार्ता नही की है आज भी राहुल शर्मा थाने पर आये और थाने के रीडर संजय कुमार से वार्ता कर रहे थे।

इस पर पास मे खड़े परिवादी श्री राहुल शर्मा ने श्री बुद्वालाल हैड कानि0 द्वारा बताई गई बातो का खण्डन करते हुए बताया कि श्री बुद्वालाल जी झूंठ बोल रहे है मै जब दिनांक 20-10-2023 को इनसे रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान मिला था तब इन्होने कहा था कि मैने तो तेरे को साठ हजार बताये थे मै तो केवल पचास तक करवा सकता हूं और इस बारे मे मै इंचार्ज साहब से निवेदन कर दूंगा कि गरीब आदमी है।

तत्पश्चात् थानाधिकारी के आवास मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे बाथरूम से साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उस गिलास मे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे श्री संजय कुमार हैड कानि0 515 के दाहिने हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने धोवन के रंग को गदमैला होना होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर आर-1, आर-2 अंकित किया जाकर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा प्लास्टिक के गिलास को काटकर नष्ट करवाया जाकर बाहर फिकवाया गया।

तत्पश्चात् पुनः एक नया प्लास्टिक का गिलास ट्रेप बॉक्स से निकलवाया जाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे श्री संजय कुमार हैड कानि0 515 के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमेला हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गदमैला रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा प्लास्टिक के गिलास को काटकर नष्ट करवाया जाकर बाहर फिकवाया गया।

तत्पश्चात् श्री संजय कुमार हैड कानि0 की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह अनूप कुमार गुर्जर से लिवाई गई तो पेंट की दाहिनी जेब मे पांच पांच सौ रूपये की एक गड्डी मिली जिसको दोनो स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये 60 नोट कुल 30,000/- रूपये मिले है जिनका मिलान पूर्व मे बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए जिनको स्वतंत्र गवाह श्री अनूप कुमार गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाए गए।

तत्पश्चात् श्री मंजय कुमार हैड कानि0 के बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब को धोवन लिए जाने हेतु बाजार से लॉवर मंगवाया जाकर पहनने को दिया गया व बदन पर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का गिलास निकलवाया जाकर उसमे प्लास्टिक की बोतल से साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन रंग रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त तैयार शुदा प्लास्टिक के गिलास के घोल मे श्री संजय कुमार के बदन से उतरवाई गई पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के घोल मे बारी-बारी से डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील

चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा प्लास्टिक के गिलास को काटकर नष्ट करवाया जाकर बाहर फिकवाया गया तथा पेंट की दाहिनी जेब को सुखवाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट को एक कपड़े की थैली सील कर सिल चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''पी'' अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत जब्त किया गया।

तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री अनूप कुमार गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाए गए रिश्वती राशि 30,000/- रूपये को पुन: फर्द पेशकशी से दोनो स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000/- रूपये हूबहू मिले है। उक्त नोटो को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् थानाधिकारी श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल पुलिस निरीक्षक से परिवादी के भाई के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 312/2023 की पत्रावली के बारे मे पूछा गया तो श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि प्रकरण की पत्रावली श्री संजय कुमार रीडर हैड कानि0 के पास ही है क्योंकि वह उसमे लिखा पढ़ी करता है। इस पर श्री संजय कुमार हैड कानि0 के कार्यालय कक्ष से प्रकरण संख्या 312/2023 धारा 420, 376 भा0दं0सं0 की पत्रावली मंगवाई जाकर उसका अवलोकन किया जाकर थानाधिकारी को सुपुर्द कर उसकी प्रमाणित फोटो प्रति पेश करने हतु कहा गया था जिनके द्वारा पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की जिसको नियमानुसार जप्त किया गया।

दर्ज रहे कि प्रकरण संख्या 312/2023 धारा 420, 376 भा0दं0सं0 पुलिस थाना भट्टा बस्ती का अनुसंधान श्री राजेन्द्र खण्डेलवाल पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है तथा रिश्वत की मांग उनके रीडर श्री संजय कुमार हैड कानि0 व श्री बुद्वालाल हैड कानि0 एचएम प्रशासन द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति मे श्री राजेन्द्र खण्डेवाल पुलिस निरीक्षक की भूमिका के बारे मे स्थिति अनुसंधान से स्पष्ट की जावेगी।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डरो को सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई।

अब तक की कार्यवाही से श्री संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर-ए, सीतावाली फाटक बेनाड़ रोड़, मुरलीपुरा जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 515, पुलिस धाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर व श्री बुद्वालाल पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 51 साल निवासी 39ए, अशोक वाटिका जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानि0 830, पुलिम थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर द्वारा परिवादी श्री राहुल शर्मा के भाई श्री पुनीत शर्मा के विरूद्व दर्ज प्रकरण संख्या 312/2023 पुलिस थाना भट्टा बस्ती में मदद करने की एवज में दिनांक 20-10-2023 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपीगण द्वारा 30000/- रूपये की मांग करना एवं मांग के अनुसरण में आरोपी श्री संजय कुमार हैड कानि0 द्वारा रिश्वत के 30,000/- रूपये परिवादी श्री राहुल शर्मा से प्राप्त कर बिना गिने ही अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रख लिए रिश्वती राशि श्री संजय कुमार हैड कानि0 515 के बदन पर पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद हुए है। जिससे इनका उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0दं0सं0 का पाया जाने पर आरोपी श्री संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर-ए, सीतावाली फाटक बेनाड़ रोड़, मुरलीपुरा जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 515, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर व श्री बुद्वालाल पुत्र स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 51 साल निवासी 39ए, अशोक वाटिका जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानि0 830, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर को पृथक-पृथक जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अत: आरोपीगण (1) श्री संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, जाति ब्राहमण उम्र 45 वर्ष निवासी प्लाट नं0 37, राजेन्द्र नगर-ए, सीतावाली फाटक बेनाड़ रोड़, मुरलीपुरा जयपुर हाल हैड कानि0 नं0 515, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर एवं (2) श्री बुद्वालाल पुत्र

स्व. श्री रामजीलाल जाति ब्राहमण, उम्र 51 साल निवासी 39ए, अशोक वाटिका जगतपुरा, जयपुर हाल हैड कानि0 830, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भा0दं0सं0 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(नीरज भारद्वाज)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भादसं में आरोपीगण श्री संजय कुमार पुत्र श्री लोकचंद, हाल हैडकानि0 नं0 515, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर व श्री बुद्धालाल पुत्र स्व. श्री रामजीलाल, हाल हैडकानि0 नं0 830, पुलिस थाना भट्टा बस्ती, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 278/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

24/10/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2959-62 दिनांक 24.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जयपुर।
2. उपायुक्त पुलिस, आयुक्तालय (उत्तर) जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।